Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2024 5(1), 673–682

हरियाणा के युवाओं के यूरोप व अमेरिका की तरफ अवैध उत्प्रवास के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों का एक विश्लेषण

अनिल शोधार्थी[1], जोगिंदर[2], नवीन मलिक[3], कुलवीर सिंह[4]

[1] समाजशास्त्र विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविधालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
[2] सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, रायपुरानी, पंचकुला (हरियाणा)
[3] सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय,सेक्टर -14,, पंचकुला (हरियाणा)
[4] शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविधालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

ABSTRACT

शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत से अवैध उत्प्रवास के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करना हैं । अवैध प्रवासन एक जटिल प्रक्रिया है, जो विश्वभर में देखी जा रही है । समाजशास्त्रीय अध्ययन के अनुसार प्रवासित बेरोजगार श्रमिकों की सख्या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की ओर बढ़ने लगी है । वर्तमान शोध आर. के. मर्टन के सैद्धांतिक पद्धति पर आधारित है । आर. के. मर्टन ने अपने विसंगति या एनॉमी (नियमहीनता) के सिद्धांत को प्रस्तावित किया है । जिसमे बताया है, कि किसी भी समाज के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, जो आकांक्षात्मक संदर्भ का ढांचा प्रदान करते हैं । जब किसी व्यक्ति ने किसी लक्ष्य को आंतरिक रूप से स्वीकार कर लिया है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के वैध साधन अवरुद्ध हैं, तो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाजायज साधनों का सहारा लेता है, तो यह नवाचार पद्धति है । विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यू. के. और सयुक्त राज्य अमेरिका मे प्रवासित आबादी सीमांत क्षेत्रों मे रहती है । और यह अवैध प्रवासी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और पर्यावरण के लिये खतरा है । अवैध प्रवास को जन्म देने का मुख्य कारण अत्याचार, युद्ध, रोजगार के अवसर, उच्च आय, बेहतर सुविधाए है । प्रवास को समझने और इससे संबधित समस्याओ पर काबू पाने के लिये इस प्रकार का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है । क्योंकि अवैध प्रवासन एक समस्या बन गयी है ।

Keywords: प्रवासन, अवैध उत्प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, श्रम, जागरूकता, आकर्षक-प्रत्याकर्षक ।

Corresponding Author

अनिल शोधार्थी,

anilbidhan64@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.3723

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

1. INTRODUCTION

प्रवास की प्रक्रिया मानव जीवन के शुरुआत से ही सबसे गतिशील मानवीय गतिविधियों मे से एक रही है । शुरुआती दिनों मे लोग जंगलों मे उत्पादन की तलाश मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे । जब अधिकांश लोगो ने जगली जीवन को त्याग कर सभ्य जीवन को अपनाया तो उन्होंने पालतू जानवरों और उपजाऊ भूमि के साथ सम्बध विकसित किये । परिणामस्वरूप मानव जाति की गतिशीलता मे अनेक परिवर्तन आये । लोग घुमक्कड़ जीवन छोड़ कर बस्तियां विकसित करने लगे । निश्चित रूप से इस स्तर पर भी मानव जाति की गतिशीलता रुकी नहीं । वास्तव मे लोग विकासशील खेती के लिए उपजाऊ भूमि कि तलाश मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता रहा है, जिसे प्रवास या देशान्तरण या स्थानान्तरण कहा जाता है । प्रवास के द्वारा मानव अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सास्कृतिक एवं उच्च आकाक्षाओ की पूर्ति करता रहा है । मानव की जिज्ञासू प्रवृति उसके

प्रवास की सबसे बड़ी उत्प्रेरक है । अपने निवास स्थान से नये क्षेत्रों की ओर गमन अपेक्षाकृत और सुगम एव अनुकूलन क्षेत्रों की खोज प्रागैतिहासिक काल से ही चली आ रही है । वैश्विक प्रवास के इतिहास मे मानव नये-नये क्षेत्रों की खोज करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों एवं चुनोतियों का सामना करते हुए स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप तथा परिस्थितियों को स्वयं के अनुकूल बनाता रहा है । इस तरह नये क्षेत्रों की तलाश, यात्रा का रोमांच, कुछ नया करने की प्रवृति कुछ नया पाने की लालसा, सामाजिक-राजनीतिक तथा आर्थिक तत्व मानव प्रवास के मूल कारण रहे है । इन्ही से प्रभावित होकर लोग गाँव मे कम मजदूरी, कृषि योग्य जमीन की कमी व रोजगार के साधनों के अवसरों की कमी, सूखे का प्रकोप और बाढ़ जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओ का भी मुख्य कारण है । इन्ही कारणों से व्यक्ति मजबूरी मे गाँव छोड़कर रोजगार की तलाश मे निकल पडा है ।

राष्ट्र उदय के साथ प्रवास का स्वरूप आंतरिक तथा वाह्य या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप मे परिभाषित किया जाने लगा है । जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के नियमों द्वारा कठोर एवं असहज बना दिया गया है । यद्यपि 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण, तथा वैश्वीकरण की नीति के साथ प्रवास के अनेक कठोर नियमों एवं बाधाओ के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कि नीति अपेक्षाकृत सरल हो गई, और लोगों में प्रवास की लालसा बढ़ी है । परंतु पहले के स्थाई प्रवास की अंतर्राष्ट्रीय नीति की अपेक्षा अल्पकालीन या अस्थाई प्रवास की नीति को अधिक महत्व दिया गया है ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की शुरुआत के परिणामस्वरूप भारतीय लोग ब्रिटिश सेना मे भर्ती हुए भर्ती होने के बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यू. के. मे हुई सेना की कमी के कारण भारत से सैनिकों को यू. के. मे भेजने लगे । विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय सैनिक अपनी यादों की कहानियों के साथ वापस लौटे, जिसके दौरान वहाँ के सामाजिक, सास्कृर्तिक व धार्मिक और वहाँ की स्वस्थप्रद जलवायु, शिक्षा ने बहुत प्रभावित किया और इन्ही अनुभवों ने भारतीयों को आकर्षित किया और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की पहल हुई । जिसके उपरांत भारतीय लोगों मे आवाजाही शुरु हुई । आज के युवा रोजगार या उन्नत जीवन की लालशा मे गॉव छोड़कर शहर की ओर प्रवास तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की ओर पलायन करने लगे है । भारत के लोगों में केरल, गुजरात व पंजाब राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की शुरुवात हुई । इन राज्यों के लोगों का कानूनी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा व यू. के. आदि देशों मे जाना शुरु हुआ था ।

आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की गतिशीलता मे इतनी वृद्धि हुई है, कि लोगों को कानूनी तौर पर वीजा न मिलने पर अवैध अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास की शुरुआत कर दी गई । अब अवैध प्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जो विश्वभर में देखा जा रहा है । आज का युवा अवैध प्रवास के लिये बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहा है । इसका नतीजा सबसे ज्यादा भारत के उतर-पश्चिम भाग मे स्थित पंजाब राज्य है । जहाँ से अवैध प्रवास की शरुआत हुई है । यहाँ के युवा सबसे ज्यादा अवैध रूप से विदेशों में चले गए है । पंजाब राज्य का यह प्रभाव पंजाब से लगती सीमा हरियाणा राज्य मे भी अवैध प्रवास ने अपने पैर रखे हुए है जिसके कारण हरियाणा राज्य की सीमाओं के लगते गाँव के पड़ोसी संबंधों और रिश्तेदारियों के प्रभाव से हरियाणा मे अवैध प्रवास की शरुआत हुई है । हरियाणा के युवा और कुछ तो अपने परिवार को लेकर बच्चों सहित कृषि योग्य जमीनों को बेचकर और साहूकारों व बैंक से कर्ज उधार लेकर एजंटों के माध्यम से अमेरिका और यू. के. मे जा रहे है । और वही अवैध तरीके से जाने का रास्ता इतना खतरनाक है, कुछ अवैध प्रवासियों की तो बीच में ही मौत हो जाती है । लेकिन फिर भी सभी बातों को पता होते हुए भी लोग पीछे हटने के लिये तैयार नहीं है । इसी के परिणामस्वरूप पिछले सालों से लगभग लाखों की सख्या मे उत्तरी हरियाणा से भी अवैध प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यू. के. चले गए है ।

प्रवास की परिभाषा :-

संयुक्त राष्ट्र संघ के कहा :- “देशान्तरण एक निवास स्थान पर या परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई मे विचरण का एक स्वरूप है ।”

देशान्तरण के अंतर्गत दो प्रकार की गतिशीलता हो सकती है जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश मे जाकर बसता है तो उसे प्रदेशवासी या बहिर्गमन या उत्प्रवासी (Emigrant) तथा स्वदेश छोड़कर बहार जाकर बसने की क्रिया को उत्प्रवास या वहिर्गमन (Emigration) कहा जाता है । इसी तरह जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से आकर किसी देश मे बसता है । तो उसे आगंतुक या अप्रवासी (Immigrant) तथा आकर बसने तथा आकर बसने को अन्तर्गमन या अप्रवास (immigration) कहा जाता है । संयुक्त राष्ट्रीय संगठन के जननांकिकी शब्दकोश(1948) के अनुसार एक देश के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ‘Out-migration’ तथा किसी स्थान पर अन्य जगहों से आने को ‘In-migration’ कहा जाता है । जबकि राष्ट्रीय सीमा को जब पार कर लिया जाता है तो इसके लिये Emigration एवं Immigration जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

शोध-पद्धति :-

प्रस्तुत शोध पत्र में अनुभाविक ना होकर सैद्धान्तिक पद्धति का प्रयोग किया गया है । इसमे हरियाणा से गैर-कानूनी तरीके से युवाओं के हो रहे यूरोप और अमेरिका के देशों की ओर हो रहे उत्प्रवास की समस्या की प्रवृति, प्रक्रिया और विस्तार को समझने हेतु विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की सहायता से इस प्रघटना को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयोग किया गया है । इसमें मुख्यत आर. के. मर्टन ने अपने नियमहीनता (एनॉमी) के सिद्धांत मे बताया गया है कि समाज में लोग किस तरह अपने सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करते है और अन्य सिद्धान्तकारों थॉम्पसन, बोग तथा नोस्तीन का विचार जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धान्त का प्रयोग किया है । ली' का स्थानान्तरण सिद्धान्त व रवेन्स्टीन का स्थानान्तरण सिद्धान्त का अध्यन करके

इस अवैध स्थानान्तरण को जानने का प्रयास किया गया है कि कहाँ तक यह दृष्टिकोण हरियाणा के युवाओं के इस उत्प्रवास के प्रभावों व कारणों को समझने में सहायक है ।

देशांतरण को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting or causes of Migration) :-

देशांतरण को प्रभावित करने वाले कई घटक एक साथ प्रभावी हो जाते है । देशांतरण को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों को जनाकिकीविदों द्वारा मुख्य रूप से दो वर्गों मे विभाजित किया जाता है । आकर्षक कारक (Pull factor) तथा प्रत्याकर्षक कारक (Push factor) लोगों को प्रवास के लिये प्रभावित करते है ।

आकर्षक कारक (Pull Factor) – देशान्तरण के आकर्षक कारक वे है जो मनुष्य को अपना निवास स्थान छोड़कर अपनी और आकर्षित करते है कुछ आकर्षक कारक निम्न है :

1. रोजगार एवं व्यवसाय के क्षेष्ठ अवसर ।
2. उन्नत नगरीय जीवन ।
3. तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा आवास की सुविधायें ।
4. आय प्राप्ति तथा उन्नति के अवसर ।
5. सगे – सम्बन्धियों एव इष्ट मित्रों का आकर्षक ।
6. मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता ।
7. स्वास्थ्यप्रद जलवायु ।

उपरोक्त कारकों से प्रभावित होकर व्यक्ति अपने स्वभाविक स्थान को निवास को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते है । इसे सकारात्मक प्रवास भी कहा जाता है । गाँव से शहरों की और प्रवास के लिए यही कारक मुख्य रूप से आकर्षित करते है ।

प्रत्याकर्षक कारक (Push factor)- देशांतरण के प्रत्याकर्षक कारकों से आशय उन परिस्थितियों से होता है । जिनसे बाध्य होकर कोई व्यक्ति अपने स्वभाविक निवास का परित्याग करता है । प्रत्याकर्षक के कुछ प्रमुख कारक निम्न्वत् है :

1. रोजगार के अवसरों का अभाव ।
2. असामाजिक तत्वों का आतंक ।
3. स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा आवास का अभाव ।
4. आय प्राप्ति तथा उन्नति के अवसरों का अभाव ।
5. राजनीतिक, जातीय तथा धार्मिक आधार पर भेदभाव ।
6. मनोरंजन की सविधाओं का अभाव ।
7. सामाजिक तिरस्कार तथा बहिष्कार ।

उपरोक्त कारणों से व्यक्ति गाँव छोड़कर शहर की तरफ भागता है कि वहाँ जीवन-यापन का कोई अच्छा रास्ता निकल कर आएगा और वह कष्टों से छुटकारा पा जाएगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण के निर्धारक तत्त्व (Determinants):-

1. **आर्थिक कारक (Economic Motives)** : अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण को निर्धारित करने वाले अनेक कारक आन्तरिक स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाले कारकों से ही मेल खाते हैं विशेषतः आर्थिक उद्देश्यों वाले तत्त्व यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के बीच उन्नीसवीं सदी के स्थानान्तरण के वार्षिक चक्र के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि उद्भव क्षेत्रों में खेती की उपज तथा गन्तव्य स्थल पर व्यापार चक्कर एवं आर्थिक विकास की गति के बीच सह-सम्बन्ध होता है । फिर भी आने-जाने वाले देशों के विषम जीवन-स्तर ने ही स्थानान्तरण धारा को प्रोत्साहित किया है।

2. **जनांकिकीय तत्त्व (Demographic Determinants)**: यह एक सामान्य निर्धारक तत्त्व होता है। जनसंख्या दबाव की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण का अधिक अच्छी प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। उन्नीसवीं सदी में आयरलैण्ड से तथा उन्नीसवीं सदी के अन्तिम तथा बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में इटली से स्थानान्तरण के लिए यही कारक प्रमुख रहा। इसी प्रकार छोटे-छोटे द्वीपों तथा देशों, जैसे- माल्टा, पोटॉरिको, बुरुण्डी, ट्रिनिडाड, नीदरलैण्ड आदि से लोगों के उत्प्रवास हेतु वहाँ जनसंख्या-दबाव ही उत्तरदायी था। कुछ छोटे देशों, जैसे लेबनान, ने तो उत्प्रवास में विशिष्टीकरण ही कर लिया था । लगभग 10 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तथा 26 लाख की जनसंख्या वाले इस देश से 15 लाख लोग विश्व भर में निर्यात किए गए (यू. एस. ए. में 4 लाख, ब्राजील में 3.5 लाख और अर्जेण्टाइना में 2 लाख लोग गए थे। अधिकांश ने लेबनानी नागरिकता को छोड़ दिया, किन्तु उनका अपने गृहस्थान से सम्पर्क बना रहा और उनकी आय का बड़ा भाग व्यापार एवं बैंक के माध्यम से वहीं आता रहा ।

3. **राजनीतिक कारक (Political factors)** : अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण पर राजनीतिक कारकों का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगत होता है । ग्रीस तथा टर्की के बीच 1925 से 1989 तक और रोमानिया तथा बल्गारिया के बीच 1940 के बाद अत्यधिक संख्या में लोगों का आदान-प्रदान हुआ है। आक्रमणकारी सेनाओं के रूप में भी स्थानान्तरण होता रहा है, जैसे-रूस तथा चीन में लाखों लोग बलात् श्रमिकों, विस्थापितों एवं कैदियों के रूप में स्थानान्तरित हुए हैं । अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) आदि ने विश्व के विभिन्न भागों में विस्थापितों के संचलन में सहायता प्रदान की है । यूरोप में इस समय विस्थापितों की संख्या करोड़ तक पहुँच गई है । भारत में देश विभाजन के समय लाखों हिन्दू-मुसलमान अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानान्तरित हुए। धर्म आज भी महत्त्वपूर्ण कारक है।

सैद्धांतिक परिपेक्ष्य

समाजशास्त्र में अवैध देशांतरण या अवैध स्थानान्तरण को निम्नलिखित विद्वानों के दरक्षितिकोणों के माध्याम से समझ सकता है:-

आर. के. मर्टन (R.K. Merton) :- विसंगति (नियमहीनता) के सिद्धांत को प्रस्तावित किया है, जो कि इस प्रकार है :

मर्टन विचलन की व्याख्या सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में करते हैं । इनके अनुसार विचलन "साधन - साध्य असंगतता" का परिणाम होता है । एक संतुलित समाज, लक्ष्यों तथा सांस्कृतिक साधनों को बराबर महत्व देता है। परन्तु अमेरिकी समाज सांस्कृतिक साधनों से अधिक महत्व सामाजिक लक्ष्यों को देता है । फलस्वरूप वहाँ के लोगों में साधनों की उपेक्षा कर लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। जैसे खिलाड़ी नियमों को ताक पर रख कर जीतने का प्रयास करने लगते हैं। जब समाज में नियमों का महत्व समाप्त हो जाता है उस स्थिति को प्रतिमानहीनता या एनॉमी कहते हैं।
मर्टन ने गणितीय चिन्हों के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया की ऐसी स्थिति में, अमेरिकी, पाँच संभावित प्रत्युत्तर दे सकते हैं

+ = स्वीकृति (Acceptance) तथा - = अस्वीकृति (Rejection)

प्रत्युत्तर (Response)	संस्थागत साधन(Cultural means)	सामाजिक लक्ष्य (Social Goals)
1. अनुरूपता (Confirmity)	+	+
2. नवाचार (Innovation)	-	+
3. कर्मकांडीय (Ritualist)	+	-
4. प्रत्यावर्तन (Retreatism)	-	-
5. विद्रोही (Rebellion)	-/+	-/+

इनमें अनुरूपता को छोड़, चारों विचलन हैं ।

1. **अनुरूपताः** व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है । जैसे:- UPSC की परीक्षा में उतीर्ण हो IAS बनना ।
2. **नवाचारः** व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों को अस्वीकार कर सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता हैं जैसे: नकल कर परीक्षा में उतीर्ण होना ।'
3. **कर्मकांडीयः** व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों को स्वीकार करता है परन्तु लक्ष्यों के प्रति उदासीन रहता है । जैसेः- सरकारी ऑफिस के कर्मचारी ।
4. **प्रवर्तनः** व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों तथा सामाजिक लक्ष्यों, दोनों की अस्वीकार कर देता है । जैसेः साधू, हिप्पी, संस्थागत साधन वैरागी आदि ।
5. **विद्रोहीः** व्यक्ति न सिर्फ सांस्कृतिक साधनों तथा सामाजिक लक्ष्यों को अस्वीकार करता है, बल्कि समाज के लिए वैकल्पिक साधन तथा लक्ष्य निर्धारित भी करता है । जैसे:- नक्सलवादी या आंतकवादी ।

ली' का स्थानान्तरण सिद्धान्त (Lee's Theory of Migration)

ई. एस. ली (Everett S. Lee):- ने प्रतिकर्षण-आकर्षण सिद्धान्त को आरेखीय रूप में पुनर्वर्णित किया है। इनके अनुसार उद्भव स्थल पर अनेक विशेषताएँ होती हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु, यौन तथा शिक्षा एवं वैवाहिक यथा, एक अच्छी जलवायु आकर्षक तथा निकृष्ट जलवायु सभी को अप्रिय लगती है, किन्तु एक अच्छी शिक्षा प्रणाली (विशेषतः स्कूली शिक्षा) एक छोटे बच्चों वाले माता-पिता के लिए धनात्मक तथा शिशुविहीन निवासी हेतु ऋणात्मक हो सकती है, जबकि एक अविवाहित के लिए यह निष्प्रभावी या तटस्थ कारक होगा। स्थिति के अनुसार अलग-अलग तरीके से देखता है। एक व्यक्ति इनमें से कुछ कारकों को उपयोगी पाता है जबकि कुछ को वह असुविधाओं के रूप में देखता है। ये दोनों 1 कारक उद्भव स्थल पर क्रमशः धनात्मक एवं ऋणात्मक कारक के रूप में जाने जा सकते हैं।

रवेन्स्टीन का स्थानान्तरण सिद्धान्त (**Ravenstein's Laws of Migration**):- प्रवासन एक स्थानिक घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूगोलवेत्ता कुछ बहुत महवपूर्ण सिद्धांत विकसित करने मे अग्रणी रहे है जो रेवेनस्टीन के कार्य से शरु होता है जिन्होंने यू. के. का 1871 और 1881 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हुए 17 मार्च 1885 को स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, लंदन के समक्ष यूनाइटेड किंगडम की प्रवासन के कानून प्रस्तुत किये । रेवेनस्टीन एक मानचित्रकार थे जिन्होंने एक सूक्ष्म विश्लेषण और जन्म स्थान दर के आकड़ों को मापते हुए इन्होंने प्रवासन के सात कानून प्रतिपादित किए और उन्होंने अपने बाद की प्रस्तुति जो उन्होंने 16 अप्रैल 1889 को सांख्यिकी सोसायटी के समक्ष विभिन्न यूरोपीय देशों तक इसका दायरा बढ़ाते हुए अपने प्रस्तावों का परीक्षण किया । उनके अनुसार, प्रवासन के नियम का अर्थ है 'वह तरीका जिसमें देश के एक हिस्से में कार्य करने

वालों की कमी है और उसकी आपूर्ति देश के दूसरे हिस्सों से की जाती है जहां पर जनसंख्या अत्यधिक है' (रेवेनस्टीन 1885)। इस प्रकार, रेवेनस्टीन ने माना है कि प्रवासन कानून केवल आर्थिक ताकतों द्वारा शासित होते हैं। वह ऐसा भी मानते थे की तकनीकी प्रगति और सड़कों, रेलवे आदि के बुनियादी ढांचे में सुधार और जलयात्रा ने श्रमिकों की आवाजाही के लिए दरवाजे खोल दिए। उन्होंने शादी और शिक्षा को प्रवासन का कारण नहीं माना।

उनके द्वारा प्रतिपादित प्रवासन के 7 नियम निम्नवत् हैं :

1. स्थानान्तरण एवं दूरी : वृहत् संख्या में प्रवासी अल्प दूरी तक ही गतिशील होते हैं।
2. अवस्थाओं में स्थानान्तरण : सर्वप्रथम तीव्र गति से वृद्धिमान नगर के चतुर्दिक ग्रामीण निवासी नगर में स्थानान्तरित होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न खाली स्थान दूरस्थ जनपदों से आये लोगों द्वारा भरे जाते हैं। यह प्रक्रिया चरणों चलती है।
3. धाराएँ एवं प्रतिधाराएँ जनस्थानान्तरण की प्रत्येक मुख्य धारा या प्रवाह से प्रतिधारा उद्भूत होती हैं।
4. ग्रामीण-नगरीय अन्तर : ग्रामीणों की तुलना में नगरवासी अपेक्षाकृत अल्प स्थानान्तरणशील होते हैं।
5. स्त्रियों का आधिक्य : लघुदूरी प्रवासियों में स्त्रियों का बाहुल्य होता है।
6. तकनीकी एवं स्थानान्तरण : तकनीकी के विकास के साथ-साथ स्थानान्तरण की मात्रा में वृद्धि होती है।
7. स्थानान्तरण में निहित उद्देश्य स्थानान्तरण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारणों में आर्थिक उद्देश्य का प्रभुत्व होता है।

जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धान्त [THEORY OF DEMOGRAPHIC TRANSITION]

जनांकिकीविदों की नवीनतम सोच है कि जनसंख्या का विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है। प्रत्येक जनसंख्या को एक-एक करके इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है । इन अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इस प्रक्रिया में अद्भुत औषधियों की खोज से रोगों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी होती जाती है और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए प्रजनन दर को पुनः व्यवस्थित करना जरूरी हो जाता है। परन्तु परिवर्तन की इस प्रक्रिया के प्रारम्भ के समय या उससे पूर्व उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती हैं जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का आकार या तो स्थिर रहता है अथवा यदि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आता भी है तो वह नगण्य रहता है। जैसे-जैसे देश का आर्थिक विकास होता जाता है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता जाता है, लोगों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाने लगता है, वैसे-वैसे यहां की मृत्यु दर में कमी होती जाती है और जन्म दर लगभग यथावत रहती है । परिणामस्वरूप जनसंख्या के आकार में परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है ।

1. थॉम्पसन, बोग तथा नोस्तीन का विचार (Views of Thompson, Bogue and Notestein) डब्ल्यू. एस. थॉम्पसन (W. S. Thompson), एफ. डब्ल्यू. नोत्स्तीन (F. W. Notestein) तथा बोग (Bogue) आदि जनांकिकीविदों का विचार है कि सी. पी. लेकी द्वारा बताई गयी पाँच अवस्थाओं में से आज केवल बीच की तीन अवस्थाएं ही पाई जाती हैं । उन लोगों ने ब्लेकर की प्रथम एवं अन्तिम अवस्थाओं को असाधारण बताया । उनके अनुसार न तो जनसंख्या उच्च स्तर पर स्थिर होती है और न ही घटती दर में होती है । इसका कारण यह है कि आज भी विश्व का कोई देश न तो पूर्णरूपेण अविकसित है और न ही पूर्णरूपेण विकसित । विश्व के सभी देश आज अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को जानते हुए सजग हो रहे हैं। अब स्थिति ऐसी हो गयी है कि सभी देशों में जन्म दर से मृत्यु दर कम हो गयी है। इस तरह उन लोगों ने जनांकिकीय संक्रमण की तीन व्यावहारिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है जो निम्नांकित है

(1) प्रथम अवस्था या परिवर्तन से पूर्व की अवस्था (First Stage or Pre-transitional Stage) इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों पर ही नियन्त्रण नहीं रहता, फलतः जनसंख्या वृद्धि की सम्भावना बहुत अधिक रहती है। यह अवस्था सी. पी. ब्लेकर की प्रथम अवस्था के बाद वाली अवस्था से मिलती-जुलती है।

(2) द्वितीय अवस्था या परिवर्तन की अवस्था (Second Stage or Transitional Stage)—यह जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था है जिसमें जन्म एवं मृत्यु दोनों ही दरों में कमी आने लगती है। इस अवस्था मृत्यु दर में अधिक कमी आती है। जबकि जन्म दर पहले धीमे घटती है फिर तेजी से घटने लगती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि देश विकास की तीसरी अवस्था में नहीं पहुंच जाता। इस अवस्था में जनसंख्या में धीरे-धीरे वृद्धि होती रहती है। योग ने इस अवस्था को तीन अन्य उपखण्डों में विभाजित किया है यथा—पहली, मध्य तथा बाद की अवस्था।

(3) तृतीय अवस्था या परिवर्तन के बाद की अवस्था (Third Stage or Post-transitional Stage) - यह अवस्था जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था है जिसमें जन्म एवं मृत्यु दोनों ही दरों में कमी रहती है। लोग संतति निग्रह के तरीकों से परिचित होते हैं तथा उनका प्रयोग जनसंख्या में सन्तुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की दर या तो शून्य होती है या उसके आस-पास रहती है। लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा रहता है।

साहित्य समीक्षा : - भारतीय और विदेशी विद्वानों द्वारा समय-समय पर भारत में अन्य देशों और भारत से यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में अवैध प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण से संबधित बहुत से अध्ययन किए गए है जिनके माध्यम से देशांतरण के तरीकों, कारणों और समस्याओ को रेखाकित किया है

। इस तरह के प्रमुख अध्ययन निम्न है :-

भावरा (2013) के शोध Irregular migration from India to the EU: Evidence from the Punjab के अनुसार पंजाब पुलिस के रिकोर्ड और पीड़ितो या उनके परिवार के सदस्यों के साक्षात्कार से ली सामग्री द्वारा पाया गया कि ज्यादातर अनियमित प्रवासी 16 से 25 साल के थे, जिनमे अधिकतर पुरुष थे। उन्होंने आगे बताया कि प्रवासन का प्रवाह काफी हद तक भारत से यूरोपीय संघ की ओर है, वैश्विकरण के इस युग में राष्ट्रीय सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही है। क्योंकि मांग और आपूर्ति वैश्विक प्रकृति की हो गई है। भारतीय सेना में सिखों के शामिल होने के साथ ही पंजाब से पलायन का एक नियमित प्रतिमान शुरु हुआ था।1849 में पंजाब के ब्रिटिश विलय के बाद सिख सैनिकों को, दूर-दराज के स्थानों पर ले जाया गया। विदेश से लोटे सैनिक अपने साथ कुछ कहानियां और सपने लेकर आए जिसने युवकों को ब्रिटिश उपनिवेशों में जाने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह पंजाब से विदेशों में पलायन की कहानिया शुरू हुई। ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा कनाडा में एक आर्थिक विस्तार कार्यक्रम शुरू किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारतीयों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। पंजाबियों ने इन सभी विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाया और बड़ी संख्या में इन देशों में चले गये । पंजाब में आज भी उत्प्रवास की एक मजबूत संस्कृति बनी हुई है। हाल ही पंजाब में अवैध आप्रवासन वाले व्यक्तियों पर अपराधिक मामले भी दर्ज हुए है। अनियमित प्रवासन की समस्या में सरकारें आम तौर पर कई मुद्दों/समस्याओं से घिरी रहती हैं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ट्रैवल एजेंटों को नियंत्रित करता हो - जो ट्रैवल एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं और बिना किसी नियामक शर्तों को प्रस्तुत किए विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट, वीजा आदि की व्यवस्था कर सकते हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, भोले-भाले युवाओं को धोखा देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। 'द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग बिल' की तर्ज पर एक केंद्रीय कानून की सिफारिश की गई है ताकि भारत के किसी भी हिस्से से काम करने वाले एजेंटों को भी कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके।

विलियम संस (2009) ने अपने शोध illegal Immigration to Canada by Sea: Integrated Marine Security Response में पाया कि अवैध अप्रवासी जमीन या हवाई मार्ग से कनाडा में प्रवेश करते हैं । अवैध अप्रवासन के प्रति कनाडा का रवैया 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दो घटनाओं से उपजा है । पहली घटना 1914 की थी जिसमें 240 सिखों सहित 376 भारतीय यात्रियों को ले जाने वाला जहाज कामागाटा मारू वैंकूवर के बंदरगाह पर पहुंचा था । यह जहाज लगभग दो महीने तक सभी यात्रियों के साथ बंदरगाह पर रुका रहा और अंत में इसे वापिस भारत में ही लौटना पड़ा था । 1939 में "वॉयज ऑफ द डैम्ड" घटना हुई। क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के नाजी जर्मनी से 907 यहूदी शरणार्थियों को ले जा रहे एक जर्मन जहाज एमवी सेंट लुइस को कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था । जुलाई 1986 में, श्रीलंका के शरणार्थी होने का दावा करते हुए 155 तमिलों को न्यूफाउंडलैंड के तट पर एक लाइफबोट में बहते हुए पाया गया। बाद में यह पता चला कि उन्हें एक जर्मन-स्वामित्व वाली लेकिन होंडुरन-पंजीकृत पोत, औरिगे द्वारा छोड़ दिया गया था । कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अवैध रूप से पार करने वाली छोटी नावों की संख्या अज्ञात है । कनाडा अपनी सीमाओं के पार प्रति वर्ष लगभग 90 से 100 मिलियन यात्रियों को प्राप्त करता है। इनमें से अधिकांश अमेरिकी पर्यटक हैं जो सीमा पार ड्राइव करते हैं और उन्हें वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। प्रवेश करने वालों में से केवल दो प्रतिशत समुद्र के रास्ते आते हैं, इनमें से अधिकांश फेरी या क्रूज जहाजों पर आने वाले पर्यटक होते हैं। कनाडा छात्रों, आगंतुकों और अस्थायी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष लगभग 800,000 वीजा जारी करता है। कनाडा में प्रति वर्ष लगभग 40000 शरणार्थी प्रवेश करते हैं। कनाडा में कई विभाग और एजेंसियां हैं जो समुद्री-संबंधित गतिविधियों पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। यूरोप के विपरीत, दुनिया के बाकी हिस्सों से भौगोलिक अलगाव और संयुक्त राज्य अमेरिका से निकटता सुरक्षा योजना के लिए प्राथमिकताओं में विशेष रूप से अवैध अप्रवासन को बढ़ावा देती है।

शाह (2009) ने आपने शोध- Smuggling of migrants from India to Europe and in particular to UK! A study on Punjab and Haryana में भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित पंजाब व हरियाणा राज्यों का अध्ययन किया और पाया कि पंजाब में विशेष रूप से मध्य दोआबा क्षेत्र में जिसमें जलन्धर, कपूरथला, नवांशहर और होशियारपुर जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास की एक लम्बी परम्परा रही है। 1880 के दशक से पंजाब में अपने गाँवों को छोड़कर विदेश यात्रा पर गये प्रवासियों के लिए करीबी देश सिंगापुर, हांगकांग आदि तथा बाद में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USA जैसे अधिक दुरी के देश गन्तव्य बन गये थे । अध्ययन के दौरान पाया कि अधिकांशत: निर्दोष प्रवासी बेईमान एजेटो का शिकार बनते है। यदि अनियमित प्रवास को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह भारत से कानूनी प्रवासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा । हालांकि कानूनी प्रवासन के अवसर सीमित होने के कारण तस्करी की मांग हमेशा बनी रहेगी ।

निकोला स्मिथ (2014) ने अपने शोध “Donkey flight illegal immigration from Punjab to UK” में इंगित किया कि यूरोपीय सरकारें भारत से अवैध आप्रवासन के अभूतपूर्व स्तर का सामना कर रही हैं । कई देशों के अनुमानों के साथ-साथ शरण आवेदनों और निष्कासन के आंकड़े की स्थिति एक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं । उदाहरण के लिए, इटली में, अनधिकृत भारतीय प्रवासी 2012 में 170,000 की कुल अनुमानित भारतीय आबादी का लगभग 30 प्रतिशत थे । जर्मनी में, अनियमित भारतीय प्रवासी आबादी कई हजार लोग हैं, भारतीय नागरिकों ने 2011 में यूरोपीय संघ (ईयू) में 2,785 शरण आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें से कई तत्काल निर्वासन से बचने के लिए थे । यूनाइटेड किंगडम में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है । अनुमान है कि यूके होम "मजबूत" के रूप में कार्यालय लेबल जनसंख्या को 430,000 और 618,000 पर रखता है; हालांकि वास्तविक संख्या हो सकती है काफी कम या अधिक। 2010 में, यूनाइटेड किंगडम से 7,135 भारतीय नागरिकों को निकाला गया था । जो

बेईमान बिचौलिए होते हैं जो त्वरित वित्तीय लाभ के लिए आर्थिक प्रवासियों का शिकार करते हैं । भारतीय अप्रवासी को यूनाइटेड किंगडम के एक लोकप्रिय मार्ग से भजते है जिसे "Donkey flight" कहा जाता हैं। " पंजाब में विशेष रूप से दोआबा क्षेत्र के कुख्यात हॉटस्पॉट, या जालंधर के आसपास के धूल भरे गांवों और कस्बों में, जो अवैध संचालन का केंद्र बन गया है, जबकि जमीन और संपत्ति बेचकर विदेश यात्रा के लिए पैसा दिया जाता है, यह 2009 और 2012 के बीच द संडे टाइम्स ऑफ़ लंदन के लिए की गई खोजी रिपोर्टिंग और शोध पर आधारित एजेंट 1,200,000 भारतीय रुपये (या 2012 में लगभग 21,500 अमेरिकी डॉलर का औसत) तक शुल्क लेते हैं, और पर्यटक वीजा प्राप्त करने के लिए लगभग 900,000 रुपये (या लगभग 16,000 डॉलर) का शुल्क लेते हैं । भावी अप्रवासी उन लोगों की सफलता की कहानियों से प्रोत्साहित होते हैं जो इसे विदेशी तटों पर बनाते हैं । सफल प्रवासी भारत में अपने जीवन भर के सपने से अधिक कमाते हैं, और अपने स्थानीय समुदायों में बड़ी मात्रा में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं ।

एम. माईलगाणा (2019):- भारत में बांग्लादेशियों का अप्रवासन लगातार बनी रहने वाली समस्याओं में से एक है जो अंतर्देशीय सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे के रूप में बार-बार उभरी है, और काफी हद तक एक जनसांख्यिकीय समस्या भी है। भले ही संकट टल गया हो राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, बैंगलोर, भारत mumayil@yahoo.com अर्थ-जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, खंड 18, संख्या 4 आईएसएसएन 0975-329X दशकों से, भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवेश या प्रवासन के खतरे को रोकने में भारत बहुत प्रभावी नहीं रहा है। जाहिर है, अतीत में एक के बाद एक आने वाली भारतीय सरकारों ने इस मुद्दे की अनदेखी की और पूरे मुद्दे को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से देखा गया । लेकिन पूर्वोत्तर में 'अवैध' बांग्लादेशी प्रवासियों को जोड़ने वाले स्थानीय संघर्षों के साथ, विशेष रूप से असम में, जिसने सार्वजनिक आक्रोश का मार्ग प्रशस्त किया, बदले में, इस मुद्दे को शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय में खींच लिया और इस मुद्दे ने अंततः अंतर्राष्ट्रीय आयाम हासिल कर लिया । इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, 2010 के अनुसार अंतराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 214 मिलियन होने का अनुमान है, दरअसल, सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदी रेखा बनाता है; लगभग 790 किमी और इस प्रकार, नदी की सीमा चौकियों ने एक बहुत ही जटिल समस्या खड़ी कर दी है क्योंकि नदी का मार्ग बदलना, बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव ने सीमांकित सीमाओं को बदल दिया, जबकि भारत सरकार ने 1971 के युद्ध के दौरान शुरू में भागे हुए बांग्लादेशियों के साथ सहानुभूति व्यक्त की, नई दिल्ली पश्चिम बंगाल और असम में बढ़ते प्रवासियों के बारे में अधिक चिंतित थी, जिसने वास्तव में भारत सरकार को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश के स्वतंत्रता-समर्थक समूह का समर्थन करने के लिए मजबूर किया। परिणामस्वरूप, सटीक और विश्वसनीय डेटा के अभाव में अवैध प्रवासियों की उपस्थिति की वास्तविक सीमा का अनुमान लगाना कठिन है। अंत में, अवैध प्रवासन पर बांग्लादेश के नकारात्मक रवैये और असहयोगी दृष्टिकोण ने भारत सरकार के लिए खतरे को प्रभावी ढंग से संबोधित करना मुश्किल बना दिया है। वास्तव में यह है।

दास जे और तालुकदार डी2 (2016):- ने अपने शोध "Socio-Economic and Political consequence of illegal migration into Assam Bangladesh" के माध्यम से इंगित किया कि पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवासियों का निरंतर प्रवाह और इसके परिणामस्वरूप राज्य के जनसांख्यिकीय पैटर्न में प्रत्यक्ष परिवर्तन गंभीर चिंता का विषय रहा है । यह असमिया लोगों की पहचान और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए एक गंभीर खतरा है । यह असमिया लोगों को उनके ही राज्य में अल्पसंख्यक बना देने की धमकी देता है, जैसा कि त्रिपुरा और सिक्किम में हुआ । ऐतिहासिक संबंधों, भौगोलिक और भौतिक निकटता के कारण बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवास बीसवीं शताब्दी के दौरान निरंतर रहा है। असम में बेहतर रोजगार के अवसर और उपजाऊ कृषि भूमि की उपलब्धता गरीबी, निर्वाह के दौरान एक पुल कारक के रूप में कार्य करती है । 1951-2011 के दौरान स्वतंत्र अवधि के बाद असम राज्य की जनसंख्या वृद्धि पूरे भारत के लिए 235.15% के मुकाबले 288.21% थी | जनसंख्या की यह उच्च वृद्धि दर स्पष्ट रूप से असम राज्य में बड़े पैमाने पर प्रवासन का सुझाव देती है । की अवैध प्रवासन ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है। सामाजिक, आर्थिक, जातीय और सांप्रदायिक तनाव। राजनीतिक रूप से, बांग्लादेशी प्रवासी उत्तर पूर्व में बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों (असम में लगभग 32% निर्वाचन क्षेत्रों) में चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं और यह आरोप है कि अवैध प्रवासियों में उग्रवादी भी हैं, जो असम में घुसकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, यह एक ऐसी समस्या हैं जिसकी ऐतिहासिक जड़ें इतनी गहरी हैं, की उसे रातो-रात हल नहीं किया जा सकता। और इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सिफारिशें भी करते हैं। कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय आप्रवासन नियुक्त करना चाहिए राष्ट्रीय प्रवासन नीति बनाने के लिए आयोग और राष्ट्रीय शरणार्थी नीति आयोग को जांच करनी चाहिए विदेशी अधिनियम 1946 को मजबूत करने के तरीके, साथ ही साथ नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए पहचान पत्र की व्यवहार्यता और प्रवासियों के लिए वर्क परमिट । और असम सीमा पर बाड़ लगाने का काम तत्काल पूरा किया जाना चाहिए मौजूदा सीमा सुरक्षा बल चौकियों और बीएसएफ की जल शाखा को मजबूत किया जाना चाहिए । सीमावर्ती जिलों में और उस मामले में हमारे नागरिक पूरे प्रदेश को बहुउद्देश्यीय फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए । जिससे बांग्लादेश से अवैध प्रवासन की समस्या से निपटा जा सके ।

एम. अमरजीत सिंह (2009):- ने अपने अध्ययन A study on Illegal Immigration into North-East India "The case of Nagaland में एक खोजपूर्ण-सह-वर्णनात्मक डिज़ाइन है और यह व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण और मीडिया-कवरेज के माध्यम से एकत्रित प्राथमिक और माध्यमिक जानकारी के एक मेजबान पर आधारित है। समस्या की व्यापक समझ रखने वाले पत्रकारों, शिक्षाविदों और छात्र नेताओं सहित पूरे नागालैंड के कई लोगों के साथ व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र की गई थी। फील्डवर्क ने कोहिमा, दीमापुर और मेदजीफेमा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को कवर किया, इन क्षेत्रों में कथित अवैध अप्रवासियों की बड़ी उपस्थिति को देखते हुए। 16,579 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल के साथ, नागालैंड की जनसंख्या 2001 में 1,988,636 थी। जहां लगभग 73 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। 2000-01 के दौरान इसकी प्रति व्यक्ति

आय 11,473 रुपये थी। 2001 में साक्षरता दर 67.11 प्रतिशत थी। नागालैंड में अवैध आप्रवासन की प्रकृति ऐसी थी की कोहिमा शहर में फील्डवर्क" को बीच में ही छोड़ना पड़ा था क्योंकि इस शोधकर्ता को एक छात्र नेता द्वारा दृढ़ता से सलाह दी गई थी कि गैर-नागों को किसी भी नागा मुद्दे पर शोध कार्य करने से रोकने के उनके संकल्प के अनुसरण में उनसे पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। परिणामस्वरूप, फील्डवर्क मुख्य रूप से दीमापुर शहर और उसके आसपास केंद्रित होना था। 2005 और 2008 के बीच कुल 200 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया था। उपलब्ध सीमित साहित्य के गहन मूल्यांकन के बाद प्रश्नावली तैयार की गई। फील्डवर्क से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की जानकारी मिली। विषय पर मुद्रित साहित्य की कमी को देखते हुए माध्यमिक स्रोत सामग्री मुख्य रूप से विभिन्न समाचार पत्रों की कतरनों का संग्रह थी। अध्ययन की कुछ सीमाएँ हैं: विश्वसनीय डेटा की अनुपलब्धता अप्रवासियों की गुप्त प्रकृति, जिन्होंने खुद को असम के प्रामाणिक निवासियों के रूप में पहचाना; और 2003 में, नागालैंड सरकार ने लगभग एक लाख अवैध अप्रवासियों का अनुमान लगाया था, जो असम की सीमा से सटे राज्य की तलहटी में बस गए थे। 2003 में, नागालैंड के मुख्यमंत्री, नेफ्यू रियो ने सार्वजनिक रूप से असम को नागालैंड में अवैध अप्रवासियों के 'निर्यातक' के रूप में स्वीकार किया। बेहतर रोजगार की संभावनाओं और शारीरिक श्रम के लिए स्थानीय लोगों की अरुचि ने अप्रवासियों के प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नागालैंड ने 1994 और 1997 के बीच लगभग 20,000 अप्रवासियों को निर्वासित करने का दावा किया है, लेकिन कहा जाता है कि उनमें से अधिकांश वापस आ गए हैं। हालाँकि, इस मुद्दे पर लोगों की जागरूकता पैदा करने और एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की आवश्यकता है 'राष्ट्रीय पहचान पत्र' की शुरूआत: यह आप्रवासन को नियंत्रित करने के लिए एक शर्त है। यह देश के सीमावर्ती राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अवैध आप्रवास पर 'श्वेत पत्र': देश में अवैध अप्रवासन पर एक श्वेत पत्र की आवश्यकता है। श्वेत पत्र तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जा सकती है। स्थानीय प्रशासन को सेनिटाइज़ करें: सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य के अधिकारियों को सीमा पार से बेरोकटोक आप्रवासन के प्रभाव के बारे में जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए। यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन प्रभाग द्वारा संबंधित राज्यों के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है।

परमजीत सहज (2012) :- ने अपने CARIM Sndia - Devloping A knowledge Base for Policymaking on gudian Judia – EU- Migration. शोध में इगित किया की मोटे तौर पर 2009 में जालंधर जिले में जागरूकता पैदा करने के अभियान नरक की पृष्ठभूमि, शामिल प्रक्रियाओं और रोड शो की सामग्री, लक्षित दर्शकों और हितधारकों को शामिल करता है। ऐसा करने में, पेपर मुख्य रूप से अनियमित प्रवासन को रोकने के लिए पंजाब में जागरूकता पैदा करने वाले अभियान का दस्तावेजीकरण करने का एक प्रयास है, सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करें और उन पाठों के साथ समाप्त करें जो अनियमित प्रवासन के खिलाफ भारत में इस तरह के बड़े अभियानों के लिए तैयार किए जा सकते हैं। भारत से अनियमित प्रवासियों पर कोई हस्त डेटा उपलब्ध नहीं है। यूरोप के लिए, अनियमित प्रवासी किसी भी समय भारत से संख्या लगभग 1,00,000 है। 2009 में यूएनओडीसी की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि "हर साल पंजाब से लगभग 20,000 युवा अनियमित प्रवासन का प्रयास करते हैं"। हर पंजाबी का जन्म विदेश जाने की इच्छा के साथ होता है। पंजाब के दोआबा क्षेत्र में अनियमित प्रवासन की सबसे अधिक घटनाएं हैं। जालंधर इस क्षेत्र में पड़ता है और इस प्रकार जागरूकता अभियानों का केंद्र बिंदु था। पंजाब में अन्य उभरते स्थलों में मोगा, संगरूर और फरीदकोट शामिल हैं। अनियमित प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से से है और अधिकांश 21-30 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुष हैं। अनियमित प्रवासन के कुछ कारणों में उच्च बेरोजगारी दर और यह धारणा शामिल है कि प्रवासन सबसे अच्छा विकल्प है। पलायन करने की अपनी महान इच्छा के कारण, पंजाबी एक घटना में बेईमान एजेंटों के हाथों आसान शिकार बन जाते हैं, जिसे "कबूतरबाज़ी" (कबूतर उड़ाना) कहा जाता है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई विकसित देश, विशेष रूप से इटली। यूके और कनाडा ने अवैध प्रवासन के खिलाफ अपने अभियानों के लिए पंजाब पर ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 2006-09 के दौरान समय-समय पर चंडीगढ़ में इस तरह के अभियान चलाए गए हैं। ब्रिटेन के उच्चायोग ने पंजाब के कुछ गांवों में जमीनी स्तर पर अभियान भी चलाया था। हालांकि, कई वर्षों से किसी भी संबंधित राजनयिक मिशन द्वारा हाल ही में कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया है। प्रारंभिक क्षेत्र का दौरा: उपायुक्त के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए। जिला विकास अधिकारी और सरपंच और अन्य ग्राम और स्थानीय निकाय। स्थानों और स्थानीय भागीदारों के उपयुक्त स्थान के चयन की योजना करने की आवश्यकता का सुझाव दिया है।

मृणाल शर्मा (2022) ने अपने वर्णात्मक विश्लेसण पद्ति पर आधारित गुणात्मक शोध “An Analytical Study of Illegal Migration with Special Reference to Assam” के माध्यम से इंगित किया कि भारत के उतर-पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से असम अपने पड़ोसी देश से अवैध प्रवासन का शिकार हुआ है। आर्थिक लाभ, रहने की बेहतर स्थिति, सुरक्षा गरीबी उन्मूलन और शैक्षिक अवसरों आदि की तलाश में एक 'क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। भारत में ब्रिटिश राज के बाद से असम राज्य के लिए अवैध प्रवास एक बड़ी समस्या रही है जो कि असमिया लोगों की पहचान और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए एक गंभीर खतरा है। राजनीतिक रूप से बांग्लादेशी प्रवासी असम में बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रो में चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में है। असम में अप्रवासियों की प्रमुख धारा नेपाल से थी। जनसंख्या वृद्धि के दर को असम में अवैध प्रवासन के साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। असम में अवैध प्रवासन का कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन पूर्वी बंगाल से असम में आने का प्रमुख कारण है। एक विशाल धार्मिक उत्पीड़न और अत्याचार के डर से हिन्दू आबादी का समूह सब कुछ छोड़कर भारत आया गया । बांग्लादेश की मुक्ति के समय लाखों लोग शरण लेने के लिए भारत आए जिनमें में से कई वापस नहीं लोटे। असम में अवैध प्रवासन भारत और बांग्लादेश के बीच खुली सीमा 4096.7 KM लंबी है जिसमें से 262 km. में मैदान,आरक्षित वन, नदियाँ, पहाड़ कृषि भूमि, राष्ट्रीय उद्यान आदि शामिल हैं इसकी स्थायी सीमा में बाड़ की कभी भी अवैध प्रवासन के लिए जिम्मेवार है ।

असम में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय दोनों तरह के अवैध प्रवासन के खतरनाक परिणामों पर जोर देने की जरूरत है प्रवासन समस्या से निपटने के लिए धार्मिक विचार नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासन एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है ये प्रवासी अब कई राज्यों और दूर-दराज के स्थानों जैसे राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में फैले हुए इस प्रकार असमिया लोगो को उनकी भूमि को बचाने और देश को अप्रवासियों के खतरे से बचाने के लिए अप्रवासियो के खतरे से बचाने के लिए अवैध प्रवास की समस्या को हल करने का सही समय है नीति निर्माताओ के लिए महत्वपूर्ण है कि वे लघु अवधि सुविधा की बजाय दीर्घकालीन प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रवासन की समस्या का समाधान करे ।

सरफराज खिला और अनुसन:- ने अपने शोध Case Study of Irregular Migration from Pakistan to Europe Reflections on the contemporary trends:- यूरोप ने हाल के वर्षों में उच्च स्तर के कानूनी या अवैध प्रवासन का अनुभव किया है। यूरोप इसे अपनी कुल आबादी का एक छोटा हिस्सा मानते हैं। नियमित या अनियमित प्रवासन एक वैश्विक परिघटना है, जिसमें राष्ट्रों के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमाओं के पार आवाजाही होती है। वर्तमान लेख का उद्देश्य पाकिस्तान से यूरोप में अनियमित प्रवासन की व्यापकता और इस भयानक विकार के पीछे मुख्य अभिनेताओं की खोज करना है। मुख्य ध्यान ऊपरी पंजाब, विशेष रूप से मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के दो निकटवर्ती जिलों पर दिया गया है, जो कई दशकों से यूरोप में अनियमित प्रवासन के केंद्र बने हुए हैं। इस पत्र में, ऊपरी पंजाब से अनियमित प्रवासन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि दो नमूना जिलों (मंडी बहाउद्दीन और गुजरात) में किए गए नृवंशविज्ञान फील्डवर्क पर निर्भर करता है, उत्तरदाताओं का चयन (किल्स और आईडीआई के लिए) उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक के माध्यम से किया गया था, लेकिन एक विशेष समावेशन मानदंड के साथ, केवल उन उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था जिनके पास कोई प्रत्यक्ष अनुभव था या अनियमित प्रक्रिया के बारे में गहन ज्ञान था। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) और इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट के अनुसार (ICMPD) 300,000 से 500,000 के बीच पाकिस्तानी अनियमित साधनों का उपयोग करके विदेश यात्रा करते हैं। ऐसे अधिकांश प्रवासी ऊपरी और संगठित दक्षिणी पंजाब के कुछ अन्य भागों के अलावा पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों विशेषकर कराची, पाकिस्तान से यूरोप (विशेष रूप से ग्रीस और इटली) में प्रवास जारी है प्रवासी संचालकों (आमतौर पर एजेंटों के रूप में जाना जाता है) की उपस्थिति, उनकी धोखाधड़ी प्रथाओं, और ट्रांसनेशनल नेटवर्क के साथ उनके अवैध संबंधों ने अज्ञात स्थलों में रोजगार खोजने की इच्छा रखने वाली युवा आबादी को फंसाने के लिए एक जाल बिछाना सुविधाजनक बना दिया। हाल के दिनों में, शिक्षाविदों ने मानव तस्करी और राष्ट्र-राज्य की नीतियों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है ताकि अनधिकृत तरीकों से विदेशियों तक पहुंच को प्रतिबंधित करके अपनी क्षेत्रीय पवित्रता को सुरक्षित रखा जा सके। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मोटे अनुमान के अनुसार लगभग एक दशक पहले दुनिया में लगभग 50 मिलियन अनियमित प्रवासी थे, मानव तस्करी को इस आधुनिक युग में राष्ट्रों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में देखा गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट (ICMPD) ने बताया कि 1999 से 2008 के दौरान आंतरिक मंत्रालय के हालिया रिकॉर्ड के अनुसार कुल 313,513 पाकिस्तानी नागरिकों को यूरोपीय संघ क्षेत्र से निर्वासित किया गया था। यह स्पष्ट रूप से सभी कानूनी या अवैध प्रवासन के मूल कारण को मिटाने के लिए यूरोपीय संघ की तत्काल शक्ति से परे है। हालांकि, इसे अवैध प्रवास को रोकने और सख्त आप्रवासन नीति के माध्यम से और आसपास के संकट स्थलों को संबोधित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। प्रवासियों की पीड़ा की दुर्दशा पर एक मीडिया जागरूकता अभियान निश्चित रूप से उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

निष्कर्ष: - अवैध प्रवास आज विश्वभर में एक जटिल और विवादास्पद मुद्धा बन गया हैं। अवैध प्रवासी जिस देश में अवैध तरीके से उत्प्रवास करते हैं। यह अवैध उत्प्रवासी उस देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा करते हैं। क्योंकि ये उत्प्रवासी उस देश की सामाजिक व राजनीतिक, रोजगार, स्वास्थ्य और पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस शोध-पत्र में हमने अवैध प्रवास के कारणों, प्रभावों और नीतियों का विश्लेषण किया है। हमारे शोध का निष्कर्ष यह बताता है कि अवैध प्रवासन के कारणों आर्थिक और सामाजिक समस्याए शामिल हैं, जैसे कि बेरोजगारी, युद्ध, आत्याचार, शिक्षा के अवसर न होना और सामाजिक तनाव शामिल हैं। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर हम इस निकर्ष पर पहुचे कि अवैध प्रवासन को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी नीतियों की आवश्यकता हैं। जिसमें रोजगार के अवसर, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी तकनीकी शिक्षा व सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़वा देने की आवश्यकता हैं, साथ ही साथ मानवाधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता हैं। हमें आशा हैं कि हमारे शोध के निष्कर्ष अवैध प्रवासन के बारे में बेहतर ढग से समझने में मदद करेगा और इसके लिए प्रभावी नीतियों को विकसित करने में मदद करेगा ।

ACKNOWLEDGEMENT

None.

CONFLICT OF INTEREST

None.

सदर्भ सूची

Bhawra V.K (2013). Irregular migration from India to the EU: Evidence from the Punjab

Saha, K. C. (2012). CARIM-INDIA–DEVELOPING A KNOWLEDGE.

Smith, N. (2014). Donkey Flights. Illegal Immigration from the Punjab to the United Kingdom.

http://www.migrationpolicy.org/research/donkey-flights-illegal-immigration-punjab-united-kingdo.
Mayilvaganan M.(2019):- Illegal Migration and Strategic challenges: Acase study of somet Undocumented Migration from Bangladesh to India Artha- journal of social science 2019,vol.18,No 4, 25-42 ISSN0975-329X/https://doi:10.12724 ajss si.2
Das J, Talukober (8) (2016). Socio-Economic and Political consequence of illegal migration into Assam Bangladesh. J Tourism Hospit 5,202. doi: 10.4172/2167-0269.1000202
Singh, M.A. (2009). A Study on illegal Immigration into North East Julia : The case of algalanal bestitute for defense studies and analyses. 1-57
Paramjit Sahai. Awerere's and Juformation Dissemination: Lession from a publicity campaign in the Rangab CARIM - Jhadia RR 2012/27 Retourt Schuman center for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): Bronze European institute 2012.
Afsar R. (2003). Dynamics of poverty, development and population mobility: the Bangladesh Case paper prepared for the Ad Hoc Expert Group Meeting on Migration and Development, organised by the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Bangkok, 27–29 August.
Kaul, Ravender Kumar (2006). Migration and Society, Rawat Publications, New Delhi.
Chand, Krishan (1998). "Migrant Labour and Trade Union Movement in Punjab: A Case Study of Sugar Industry, Ph.D. Thesis, Punjabi University, Patiala
Singh, Ram Nath (1989). Impact of Out–Migration on Socio-Economic Condition: A case study of Khutana Block, Amar Prakashan , Delhi .
Narinder Singh (2012). A Socio-Economic Analysis of Process of Migration Quest International Multidisciplinary Research Volume – I , Issue – II December – 2012 ISSN : 2278 – 4497
Farhana K. M., Rahman S. A. & Rahman M. (2012). Factors of migration in urban Bangladesh: An empirical study of poor migrants in Raj Shahi city. Bangladesh e-Journal of sociology, 9(1),105-115.
Illiamsm H. (2009). Illegal Immigration to Canada by Sea : An integrated Marine Security
Kumar Dharmendra (2012). Samajshastra Tata mcgraw hill's winning edge series page no. 37
Mishra J.P Demography (2016). Sahitya Bhawan publication page no.120,234-239
Lee E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3 (1), 47-97. http:// doi.org/ 10.2307/2060063.
Merton R. K. (1949). Social theory and social structure, New York: Free press, Current contents.
Notestein, F. W. (1945). "Population-The long view. 'In Food for the World, ed. Theodore W. Schultz. Chicago: University of Chicago Press
Revenstein G. E. (1876). The Birthplaces of the people and the laws of migration. Trubner.
Bhagat, R. B. (2020). Migration Theories: A Critical Evaluation and Synthesis